प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, सोरहत्था, वैशाली
पो.: अनिरुद्ध बेलसर, प्रखंड : पटेढ़ी बेलसर, जिला : वैशाली, पिन कोड : 844111
(शिक्षा विभाग, बिहार सरकार)
Web ID : www.ptecsurhatha.in
E-Mail : ptecsurhattha@gmail.co

पत्रांक :................................ दिनांक :................................

प्रथम चयन सूची से नामांकन संबंधी आवश्यक सूचना

सेवा पूर्व डी0एल0एड0 सत्र 2021–23 के निर्धारित 150 सीटों के विरुद्ध प्रथम चयन सूची महाविद्यालय के वेबसाईट पर प्रकाशित कर दी गई है। नामांकन हेतु अभ्यर्थियों का चयन उनके नामांकन के पात्रता का द्योतक है, नामांकन की अनिवार्यता का नही। चयनित अभ्यर्थी **दिनांक 17.10.2021, 18.10.2021 एवं 21.10.2021** को कार्यालय अवधि में 10:00 बजे से 4:00 बजे तक निम्नांकित अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ महाविद्यालय में अपना नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगें। निर्धारित तिथि तक नामांकन नहीं कराने अथवा संबंधित श्रेणी/कोटि जिसमें नामांकन हेतु चयनित किया गया है, उससे संबंधित मूल प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में अभ्यर्थी का दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

प्रथम चयनित सूची से नामांकनोपरांत स्थान रिक्त रहने पर द्वितीय चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

चयनित अभ्यर्थी नामांकन के समय निम्न दस्तावेजों के साथ उपस्थित होंगे–

1. मैट्रिक/माध्यमा/फौकानिया परीक्षा पास करने का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र की मूल प्रति।
2. इंटर/मौलवी परीक्षा का मूल प्रमाण–पत्र एवं अंक–पत्र की मूल प्रति।
3. आवासीय प्रमाण–पत्र की मूल प्रति। (एक वर्ष से अधिक पुराना न हो)
4. आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी हेतु सक्षम पदाधिकारी से निर्गत जाति/विकलांगता/आथिक रुप से पिछड़ा वर्ग प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
5. अंतिम शिक्षण संस्थान से निर्गत विद्यालय/महाविद्यालय परित्याग/ स्थानांतरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
6- शिक्षण शुल्क के रुप में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंन्त पिछडा वर्ग के अभ्यर्थी को 11500/–(ग्यारह हजार पाँच सौ रुपये) एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को 7000/–(सात हजार रुपए) PRINCIPAL PTEC SURHATTHA VAISHALI के नाम से जारी तथा SBI LALGANJ में भुगतेय राष्ट्रीयकृत BANK DRAFT (बैंक ड्राफ्ट) के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।
7. सभी मूल प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति का दो सेट, तीन पासपोर्ट साईज फोटो एवं सभी मूल प्रमाण–पत्र एवं अभिलेख दो फाईल फोल्डर में जमा करेंगे।
8. सत्यापन के क्रम में किसी भी प्रमाण–पत्र के फर्जी पाये जाने की स्थिति में नामांकन रदद् करते हुए विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी तथा नामांकन शुल्क के रुप में जमा राशि भी जब्त कर ली जाएगी।
9. कार्यपालक दण्डाधिकारी (संबंधित अनुमंडल से) के द्वारा सभी अपेक्षित प्रमाण–पत्र के सही होने एवं अन्यत्र कहीं नामांकन नहीं होने के संबंध में शपथ–पत्र।
10. रजिस्टर्ड चिकित्सक का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र।
11. निर्धारित तिथि तक नामांकन नही कराने, अपेक्षित प्रमाण–पत्र की अनुपलब्धता पर नामांकन का दावा स्वतः समाप्त माना जाएगा।
12. उपर्युक्त सभी शर्तों को पूरा करने पर आपका नामांकन **औपबंधिक** रुप से किया जाएगा।

नोटः– किसी प्रकार की जानकारी के लिए मो0 नं0–8603020850, 9931920178 पर संपर्क करें।

09.10.2021

प्रभारी प्राचार्य
प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
सोरहत्था, वैशाली

09.10.21